भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1208
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय जनसंख्या और परिवार नियोजन नीति

1208. श्री गोपाल शेट्टी:
श्री सत्यदेव पचौरी:
श्री डी.एम.कथीर आनन्द:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति बनाने और कोई नया कानून लाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में लाने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 2026 तक देश में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कोई अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त को रोकने के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार क्या उपाय किए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ङ): सरकार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के नियमों द्वारा निर्देशित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा प्रकाशित जनसंख्या अनुमानों संबंधी तकनीकी समूह (टीजीपीपी) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 142.59 करोड़ होंगी। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. **विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प:** वर्तमान गर्भ निरोधक उपायों मे कंडोम, संयुक्त ओरल गर्भनिरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण

(आईयूसीडी) और नसबंदी में युक्त नए गर्भ निरोधकों अर्थात् इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम) और सेंट्रोमैन (छाया) को शामिल करके विस्तारित किया गया है।

ii. गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पर्याप्त रूप से पहुंच बढ़ाने के लिए तेरह राज्यों में **मिशन परिवार विकास** कार्यान्वित किया जा रहा है।

iii. **बंध्यकरण स्वीकारकर्ताओं के लिए मुआवजा योजना**, जिसमें बंध्यकरण हेतु लाभार्थियों को वेतन की हानि के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

iv. इसमें लाभार्थियों को पोस्ट-पार्टम अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक यंत्र (पीपीआईयूसीडी), गर्भपात के बाद अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक यंत्र (पीएआईयूसीडी) और पोस्ट-पार्टम नसबंदी (पीपीएस) के रूप में **गर्भावस्था के बाद गर्भ निरोधक** प्रदान किए जाते हैं।

v. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन और सेवा प्रदायगी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष **विश्व जनसंख्या दिवस और पखवाड़ा तथा पुरुष बंध्यकरण पखवाड़ा** मनाया जाता है।

vi. **गर्भ निरोधकों की होम डिलीवरी योजना के तहत,** आशाकर्मी लाभार्थियों के घर पर गर्भनिरोधक साम्रगी वितरित करती है।

vii. स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन सामग्रियों की अंतिम उपभोक्ता तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **परिवार नियोजन संभार तंत्र प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपी-एलएमआईएस)** मौजूद है।

जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सरकार के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसके तहत निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं:

- **कुल प्रजनन दर वर्ष 2015-16 (एनएफएचएस 4) में 2.2 से** घटकर **वर्ष 2019-21** (एनएफएचएस 5) **में 2.0** हो गई जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
- **36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 31 ने** प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता (एनएफएचएस-5) प्राप्त कर ली है।
- **आधुनिक गर्भनिरोधक उपयोग वर्ष** 2015-16 (एनएफएचएस 4) में **47.8% से बढ़कर वर्ष 2019-21 (**एनएफएचएस 5) **में 56.5%** हो गया है।
- **परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता** वर्ष 2015-16 (एनएफएचएस 4) में 12.9% से घटकर **वर्ष 2019-21 ((**एनएफएचएस 5) **में 9.4%** हो गई है।
- **अशोधित जन्म दर** (सीबीआर) वर्ष 2015 (एसआरएस) में 20.8 से घटकर **वर्ष 2020** (एसआरएस**)** में **19.5** हो गई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्राप्त सफलता को ध्यान में रखते हुए, इस समय देश में कोई अन्य जनसंख्या नीति/विधान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****